

- [1]
1. पूरा नाम
Name (in full) *Sri ... Takko Bimpak, AIT (B)*
 2. घर का स्थायी (पूरा)
Permanent Home Address (in full) *Village Bimpak p.o. p.s. Talika*
 3. पिता का नाम (यदि सरकारी कर्मचारी महिला हो तो पति का भी नाम)
Father's name (and also husband's name in the case of a woman Govt. servant) and residence. *Late Tapak Bimpak*
 4. राष्ट्रियता (यदि भारत का/की नागरिक न हो तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पत्रता प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख)
Nationality. (If not a citizen of India, number and date of the certificate of eligibility granted by the Government of India) *Indian*
 5. अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का/की सदस्य हो तो जाति/आदिम जाति का विवरण
If a member of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, particulars of Casts/Tribe. *S/S Tagin*
 6. ईसवी सन के अनुसार यथासंभव सही-सही जन्म की तारीख
Date of birth by Christian Era as nearly as can be ascertained. *19-01-66. (Nineteen January Nineteen Hundred Sixty Six)*
 7. शिक्षा संबंधी योग्यता
Educational qualifications *Class XII Se.*
 8. (बिना जते के) नापी गई ठीक-ठीक ऊंचाई
Exact height by measurement (without shoes) *5 ft. 6 inches*
 9. शारीरिक पहचान-चिह्न
Personal mark for identification *one spot ~~on~~ left eyes*
 10. यदि (अराजपत्रित) कर्मचारी इतना साक्षर नहीं है कि अंग्रेजी, हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषा में हस्ताक्षर कर सके तो उसके बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान
Left hand thumb and finger impressions of (non-gazetted) officer if he is not literate enough to sign his name in English Hindi or other regional language.

(कनिष्ठिका)
(Little finger)

(अनामिका)
(Ring finger)

अंगूठा
(Thumb)

मध्यमा
(Middle finger)

तर्जनी
(Fore finger)

11. सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
(Signature of the Government Servant)

12. कार्यालय अध्यक्ष या तसदीक करने वाले अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
Signature and designation of the head of the Office or other attesting officer.

Bimpak

नोट 1.— इस पृष्ठ पर दिये इंदराजों का नवीयन या साक्ष्यांकन कम से कम हर पांचवें वर्ष हो जाना चाहिये और 11 वीं तथा 12 वीं पंक्ति में किये गए हस्ताक्षरों के नौवें तारीख भी लिखनी चाहिये। इस नियम के अधिन अंगुलियों के निशान हर पांचवें वर्ष लेने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 2.— पुलिस विभागों सरकारी कर्मचारियों के बारे में अतिरिक्त इंदराजी के लिये 32 वां पृष्ठ देखिये।

Note—(1) The entries on this page should be renewed or re-attested at least every five years and the signatures in lines 11 and 12 should be renewed every five years under the provisions of the Police Departments, please see page 32.

05/05/2023 22:02